

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

: परिपत्र :

क्रमांक / ५२७ / कम्प्यू. हा. / 2025

उज्जैन, दिनांक—

29 MAY 2025

प्रायः यह देखने में आया है कि इस न्यायिक स्थापना के जिला मुख्यालय उज्जैन एवं समस्त बाह्य तहसील न्यायालयों एवं अनुविभागों के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण प्रदाय किये जाते हैं, किन्तु न्यायालयों एवं अनुविभागों में पदस्थ संबंधित कर्मचारीगण द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरणों का उचित रूप से रखरखाव तथा उपयोग नहीं किया जाता है जिसके कारण कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण कुछ ही समय में खराब होने की स्थिति निर्मित होती है तथा उनके दुरुस्ती के संबंध में सूचना प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर के कन्ज्यूमेबल सामग्री का भी उचित रूप से रखरखाव नहीं होने के कारण बार-बार कय की जाती है जिसके कारण अनावश्यक रूप से वित्तीय भार शासन को आता है।

उक्त हार्डवेयर के उचित रूप से रखरखाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा भी पूर्व में भी कार्यालय को निर्देशित किया गया है।

अतः इस न्यायिक स्थापना के जिला मुख्यालय उज्जैन एवं समस्त बाह्य तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण एवं अनुविभागों के प्रभारी अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि वे उन्हें आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर का नियमित रूप से उचित रखरखाव करें, न्यायालयीन समय पश्चात् न्यायालय से प्रस्थान करने से पूर्व हार्डवेयर को पॉलीथिन/कपड़े आदि से कवर करके जावें।

साथ ही लेख है कि मेरे अथवा मेरे द्वारा अधिकृत अधिकारीगण के निरीक्षण के दौरान यदि भविष्य में कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रूप से रखरखाव होना नहीं पाये जाने तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर में कोई भी क्षति/हानि पहुचने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा हार्डवेयर की दुरुस्ती में होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित कर्मचारी से करवाया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

—Sol—
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन

पृ.क्र. 565 / कम्प्यू. हा. / 2025

उज्जैन, दिनांक— 29 MAY 2025

1. समस्त न्यायालय, जिला न्यायालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालय/महिदपुर/खाचरौद / नागदा/तराना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुविभाग, जिला न्यायालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालयों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन